

कैनिक कार्य सूची

मंगलवार, विनांक ७ नुलार्फ, 1991 (आषाढ १०, १९१३)

समय १०.३० बजे

१-प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेगे.

२- पत्रों का पटल पर रखा जाना.

श्री कैलाश चावला, खनिज साधन मंत्री, कम्पनीज एकट 1956 की धारा 619-क की उपधारा (उ) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल का 23 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 पटल पर रखेगे।

३- नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकरण.

(१) सर्वश्री शिवराज सिंह चौहान/कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, प्रदेश में सलफास गोलियों की अवैध रूप से जारी बिक्री की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(२) श्री कमलेश्वर प्रसाद द्विवेदी, सदस्य, सीधी जिले के सिंगारीती कोयला खदान शेत्र की टनल धंसने से हुई अनेक श्रमिकों की मृत्यु की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(३) श्री करन सिंह वर्मा, सदस्य, भोपाल के गैस पीड़ितों में अंतरिम राहत की राशि का सही वितरण न हो पाने की ओर गैस राहत मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(४) सर्वश्री सूबेदार सिंह/गजराज सिंह सिक्करवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम हिंगोना के निकट लूट की घटना घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

४- याचिकाओं की प्रस्तुति.

(१) श्री नन्दकुमार पटेल, सदस्य -

(क) जिला रायगढ, तहसील खरसिया, ग्राम मदनपुर में सार्वजनिक भवन निर्माण कराने,

(ख) खरसिया के ग्राम हालाडूली में हाईस्कूल खोले जाने, तथा

(ग) खरसिया के ग्राम मदनपुर में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण कराने,

(२) श्री विष्वम्भरनाथ पाण्डेय, सदस्य -

(क) जिला रीवा, तहसील गुद के ग्राम भीटी में महिला बाल विकास कार्यालय खोले जाने,

(ख) विकासखण्ड रायपुर कर्चुलियान के ग्राम लक्ष्मणपुर (लौवा) में नलजल योजना प्रारंभ कराने, तथा

(ग) ग्राम लक्ष्मणपुर (लौवा) में अस्पताल भवन एवं कर्मचारी आवास निर्माण कराने,

(३) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य -

(क) जिला दुर्ग, विकासखण्ड गुरुर के ग्राम धानापुरी में विद्युत कनेक्शन पूर्ण कराने,

(ख) ग्राम धानापुरी में कालीराब नाला पर स्टाप डेम निर्माण कराने, तथा

(ग) विकासखण्ड डॉडीलोहारा के ग्राम कोबा में हाईस्कूल खोलने,

(४) डा. गोविन्द सिंह, सदस्य -

(क) जिला भिण्ड परगना लहार के ग्राम धौरका में खरन्जा एवं नाली निर्माण कराने, तथा

(ख) ग्राम बड़ागांव, कस्ल, टोला, गौरा में हैण्डपम्प लगाये जाने,

(5) श्री अशोक कुमार चौरसिया, सदस्य -

जिला छतरपुर के ग्राम जखरोने-स्टाई-हटवास मार्ग के नाला पर पुल निर्माण कराये जाने,

(6) श्री छोटेलाल सिंह, सदस्य -

आमरकंठ स्थित सलिला नर्मदा उदगम स्थल से वृक्षों की अवैध कटाई एवं खनिज उत्खनन रोके जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

4- वर्ष 1991-92 की अनुबानों की मांगों-पर मतदान (क्रमशः)

(1) मांग संख्या 23
मांग संख्या 57

मांग संख्या 45
मांग संख्या 48
मांग संख्या 40
मांग संख्या 53

निर्धारित समय (2) मांग संख्या 17
1 घन्टा मांग संख्या 59

1 घन्टा (3) मांग संख्या 33
30 मिनिट मांग संख्या 41

1 घन्टा (4) मांग संख्या 22
मांग संख्या 28
मांग संख्या 29
मांग संख्या 72

2 घन्टे (5) मांग संख्या 8
मांग संख्या 9
मांग संख्या 35
मांग संख्या 51

जल संसाधन विभाग

जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ

लघु रिंचाई निर्माण कार्य

नर्मदा घाटी विकास

आयाकट विभाग से संबंधित व्यय

आयाकट विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ

सहकारिता

सहकारिता विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ

आदिम जाति कल्याण

आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

स्थानीय शासन विभाग से संबंधित व्यय

राज्य विधान मण्डल

न्यास प्रशासन निर्बाचिन

गैस दुर्घटना राहत कार्यों से संबंधित व्यय

भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन

राजस्व विभाग से संबंधित व्यय

पुनर्वास

धार्मिक न्यास और धर्मस्व

भोपाल :

दिनांक : 8 जुलाई, 1991

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा